



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 03.11.24

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर व एक गाडी हुन्डई VERNA बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर व एक गाडी हुन्डई VERNA नं0 HR26FE6211 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 377/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राशिद पुत्र इशाक निवासी मौहल्ला सद्दीकनगर पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर ।
- एक गाडी हुन्डई VERNA नं0 HR26FE6211

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री दीपक कुमार थाना खेकडा ।
- 2-का० 349 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा ।
- 3-का० 1022 अजय कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-03.11.2024

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 292/2024 धारा 109 BNS 2023 में
वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक
अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.10.2024 को थाना दोघट पर वादी कृष्णपाल पुत्र फत्ते सिंह निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 19.10.2024 को अभियुक्तगण 1.विककी उर्फ सन्नी पुत्र संजीव, 2.विककी उर्फ पीटर पुत्र संजीव निवासीगण ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत व एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात के द्वारा वादी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 292/24 धारा 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 292/24 धारा 109 बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा दिनांक 28-10-2024 को अभियुक्त विककी उर्फ पीटर को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विककी उर्फ सन्नी पुत्र स्व० संजीव निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० विपिन गौतम थाना दोघट जनपद बागपत

2-है०का० 188 सुबोध कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

3-एचजी 465 नरेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 03.11.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 735/24 धारा 103(1)/109 बी.एन.एस. व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 01 चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.11.2024 को वादी सागर उर्फ अंकित पुत्र सुभाष निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.सोनू पुत्र पुष्पेन्द्र व 2.विशाल पुत्र किरणपाल निवासीगण ग्राम लुहारी थाना बडौत



जनपद बागपत द्वारा वादी के भाई गुड्डू उर्फ विपिन को चाकू मार दिया है जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है तथा वादी के बीच बचाव में आने पर वादी के ऊपर जानलेवा हमला किया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 735/24 धारा 103(1)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 735/24 धारा 103(1)/109 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट--- मु0अ0सं0 735/24 धारा 103(1)/109 बी.एन.एस. में अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद होने के पश्चात धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि मृतक व हम दोस्त थे। दिनांक 01.11.24 को शराब पीने के लिए सोनू अपनी मोटरसाईकिल लेकर गुड्डू को उसके खेत से मोटरसाईकिल पर बैठाकर अपने घर ले आया था, हम तीनों ने शराब पी थी, शराब पीने के बाद गुड्डू हमें गाली देने लगा था उसकी गाली सुनकर हमें गुस्सा आ गया था और हमने उसे सोनू के घर से बाहर निकाल दिया था वह घर से बाहर निकलकर भी गालियाँ दे रहा था, इसी बात को लेकर हमारे बीच झगडा हो गया था विशाल ने गुड्डू की बगल भर ली तभी सोनू ने चाकू से उसके सीने पर वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सोनू पुत्र पुष्पेन्द्र निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-विशाल पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2- निरीक्षक श्री विनोद कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3- उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4- उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5- है0का0 437 बलजीत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 6- है0का0 311 आदेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 03.11.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 56/24 धारा 363/376 भा०द०वि० व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 56/24 धारा 363/376 भा०द०वि० व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा अपहृता को दिनांक 17-03-2024 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अर्जुन पुत्र सतीश निवासी ग्राम व थाना भौराकला जनपद मुज्जफरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री सोनू कुमार थाना सि०अहीर जनपद बागपत

2-का० 751 शादाव थाना सि०अहीर जनपद बागपत